क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1–ए/आई.एन.एस.–1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद
ई–मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591–2972012

पत्र संख्या : 1507 / N-13/259/ 23/जनरल

दिनांक 25/10/2023

To,

The Registrar General,
Principal Bench,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.

Subject : Regarding status report in compliance of order passed dated 25-5-2023 in O.A. No. 259/ 2023 Aunupam Goyal Vs State of U.P.

Sir,

In compliance of the direction passed by Hon'ble National Green Tribunal dated 25-05-2023 on matter mentionded above, the status report is hereby attached with a request to put up before Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal.

Enclosure : As above.

Your Sincerely

(Ashutosh Chauhan)
Regional Officer

Copy to :

1. District Magistrate, Sambhal.
2. Shri Pradeep Mishra, Advocate for U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
3. CEO-7, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
4. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.

Regional Officer

AEE. CORS. JNT

Scanned with OKEN Scanner

Annex -1

कार्यालय जिलाधिकारी, सम्भल (बहजोई)

पत्रांकः 840/N-13/259/2023 दिनांकः 01/6/23

उपजिलाधिकारी,
तहसील सम्भल, जनपद सम्भल।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 259/2023 अनुपम गोयल बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 25.05.2023 के अनुपालन के संबंध में।

उपरोक्त विषयक अवगत हो कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ. ए. संख्या 259/2023 अनुपम गोयल बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 25.05.2023 (छायाप्रति संलग्न) में श्री अनुपम गोयल पुत्र श्री अनिल कुमार, निवासी आर्य समाज रोड, तहसील व जनपद सम्भल द्वारा आर्य समाज रोड, आर्य कन्या इन्टर कॉलेज के सामने, सम्भल स्थित मेन्था ऑयल इकाई मैसर्स विहान एरोमेटिक्स के विरुद्ध प्रेषित शिकायती प्रकरण पर स्थलीय जाँच हेतु जिलाधिकारी, सम्भल एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त समिति गठित की गयी है तथा वास्तविक स्थिति का सत्यापन कर तथ्यात्मक रिपोर्ट 03 माह के अन्दर प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतः उक्त के क्रम में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में स्थलीय जाँच हेतु जिला प्रशासन, सम्भल की ओर से आपको नामित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के साथ संदर्भित प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोपरि।

(मनीष बंसल)
जिलाधिकारी, सम्भल

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादबाद को अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी, सम्भल

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

Annex

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 259/2023 अनुपम गोयल बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 25.05.2023 के अनुपालन में स्थलीय जांच आख्या–

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 259/2023 अनुपम गोयल बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 25.05.2023 में निम्न निर्देश दिये गये है–

"3. In our view the issue raised in this application, at the first instance can be looked into by the local authorities, hence we constitute a Joint Committee comprising District Magistrate Sambhal and State PCB to look into the compliant, visit the site, collect relevant informations and if finds any violation of the environmental laws or norms in the functioning of the said unit they would take appropriate remedial and preventive action in accordance with law, within three months. SPCB may also classify this category of industry like Red, Orange, Green or White to regulate operation of such industries taking siting into consideration and also serving the purpose of their operation without upsetting their economic/trade development.........."

मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्रश्नगत उद्योग मैसर्स विहान एरोमेटिक्स, आर्य समाज रोड, हौज भद्दे सराय, थाना कोतवाली, जनपद सम्भल की स्थलीय जांच हेतु जिलाधिकारी महोदय, सम्भल के पत्रांक 810/एन–13/259/2023 दिनांक 01.06.2023 के द्वारा उपजिलाधिकारी, सम्भल को नामित किया। तत्क्रम में इकाई का स्थलीय निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 06.06.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग में श्री संदीप अग्रवाल, पार्टनर इकाई प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित थे। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. उद्योग मैसर्स विहान एरोमेटिक्स, आर्य समाज रोड, हौज भद्दे सराय, थाना कोतवाली, जनपद सम्भल में स्थापित/संचालित है। उद्योग को जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र 09AASFV8674PIZO दिनांक 16.07.2020 को निर्गत किया गया है।
2. उद्योग द्वारा कच्चे माल के रुप में मेन्था ऑयल को क्रय कर स्टॉक टैंक में स्टोर किया जाता है तथा फ्रीजिंग एवं सेन्टीफ्यूज प्रक्रियाओं द्वारा मेन्थाल बोल्ट क्रिस्टल (फ्लैक्स) का उत्पादन किया जाता है। उद्योग में उत्पादन हेतु 06 डी–फ्रीजर क्षमता 1300 किग्रा0 प्रत्येक एवं 04 सेन्टीफ्यूज मशीने स्थापित है। निरीक्षण के समय उपस्थित इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि मेन्था ऑयल को डी–फ्रीजर में प्रिजर्व कर लगभग एक माह पश्चात् सेन्टीफ्यूज प्रक्रिया के उपरान्त उत्पाद तैयार कर विक्रय कर दिया जाता है तथा औसत उत्पादन 07 से 08 टन/माह है।
3. उद्योग में 5.0 किलोवॉट का विद्युत संयोजन तथा वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति हेतु 10 के.वी.ए. का एक कैनौपीयुक्त डी.जी. सेट स्थापित पाया गया।
4. उद्योग का इकाई स्थल आर्य समाज रोड, हौज भद्दे सराय, थाना कोतवाली, जनपद सम्भल में आवासीय/व्यवसायिक क्षेत्र में स्थित है, जो कि विनियमित क्षेत्र सम्भल के क्षेत्रान्तर्गत आता है। उक्त इकाई के कार्य स्थल से पूरब की दिशा में लगभग 10 फीट की चौड़ी सडक तत्पश्चात् शिकायतकर्ता श्री अनुपम गोयल का आवास स्थित है।
5. उद्योग द्वारा बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अर्न्तगत संचालनार्थ सहमति प्राप्त नही की गयी है।
6. मा0 न्यायालय उपजिलाधिकारी, सम्भल द्वारा वाद सख्या 1836/2023 अर्न्तगत धारा 133 अधिनियम दण्ड प्रक्रिया संहिता के अर्न्तगत पब्लिक न्यूसेंस की सम्भावना के दृष्टिगत आर्य समाज

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

रोड पर भू–उपयोग के विरुद्ध आवासीय क्षेत्र में संचालित की जा रही इकाई मैसर्स विहान एरोमैटिक्स् का संचालन बन्द किये जाने हेतु आदेश/नोटिस दिनांक 21.02.2023 निर्गत किया गया है।

7. कार्यालय नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र सम्भल के पत्रांक 174/वि0क्षे0 सम्भल /2022–23 दिनांक 26.11.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त स्थल पर भवन मानचित्र आवासीय प्रयोजन हेतु स्वीकृत है तथा आवासीय क्षेत्र में इकाई का संचालन बन्द किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया है।
8. उद्योग की औद्योगिक प्रकियाओं में जल एवं ईधन की खपत नही की जाती है, जिससे उद्योग से जल एवं वायु प्रदूषण की सम्भावना नगण्य है, परन्तु कच्चे माल के भण्डारण एवं उत्पाद से वोलाटाईल आर्गेनिक मैटर्स की जनित तीक्ष्ण गंध से आसपास के वातावरण पर प्रभाव पडना स्वभाविक है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त इकाई अनुमन्य भू–उपयोग के विरुद्ध आवासीय/व्यवसायिक क्षेत्र में राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के प्राविधानों के अर्न्तगत सहमति प्राप्त किये बिना संचालित है। अग्रेतर उल्लेखनीय है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या 34957/2003 श्रीमती मिथलेश जैन, आगरा बनाम उ0प्र0 राज्य में दिनांक 13.06.2003 को दिये गये निर्णय में महायोजना में अंकित आवासीय भू–प्रयोग में चल रही व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों को तत्काल रोकने हेतु आदेश पारित किये गये है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त इकाई के आस–पास आवासीय गतिविधियां विधमान हैं, जिसको दृष्टिगत रखते हुए अवर अभियन्ता विनियमित क्षेत्र सम्भल कीं आख्या के आधार पर उक्त इकाई के स्वामी के विरूद्ध धारा 133 सी0आर0पी0सी0 का वाद योजित किया गया, जिसमें उक्त इकाई के संचालन को बन्द किए जाने का सशर्त नोटिस निर्गत किया गया, जिसमें अग्रिम तिथि 19.06.2023 नियत है। प्रश्नगत प्रकरण में इकाई के स्वामी को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

08/6/23
(जे.एन. तिवारी)
सहा.पर्या.अभि.
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद

(सुनील कुमार त्रिवेदी)
उपजिलाधिकारी
सम्भल 08/06/23

13 क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1–ए/आई.एन.एस.–1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद
ई–मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591–2972012

Annex

पत्र संख्या 887/N-13/ 259 /जन 22 दिनांक 16.06.2023

सेवा में,

श्री संदीप अग्रवाल पुत्र श्री आनन्द प्रकाश,
मैसर्स विहान एरोमेटिक्स,
आर्य समाज रोड, हौज भद्दे सराय,
थाना कोतवाली, जनपद सम्भल।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 259/2023 अनुपम गोयल बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 25.05.2023 के सम्बन्ध मे।

महोदय,

अवगत हो कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 259/2023 अनुपम गोयल बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 25.05.2023 के अनुपालन में उद्योग का स्थलीय निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 06.06.2023 को उपजिलाधिकारी, सम्भल के साथ किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि आपकी इकाई आवासीय/व्यवसायिक क्षेत्र में अनुमन्य भू–उपयोग के विरुद्ध स्थापित एवं संचालित है, जिससे आसपास के वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पडना स्वभाविक है। अग्रेतर यह भी अवगत हो कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या 34957/2003 श्रीमती मिथलेश जैन, आगरा बनाम उ0प्र0 राज्य में दिनांक 13.06.2003 को दिये गये निर्णय में महायोजना में अंकित आवासीय भू–प्रयोग में चल रही व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों को तत्काल रोकने हेतु आदेश पारित किये गये है। इसी कम मे आई.जी.आर.एस. के माध्यम से पूर्व में इकाई के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के संबंध में कार्यालय के पत्र संख्या 1131/एस–16/जनरल दिनांक 17.09.2022 के द्वारा भी आपको निर्देशित किया गया था, जिसकी अनुपालन आख्या अभी तक अप्राप्त है।

अतः उक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि इकाई का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या से 15 दिन के अन्दर इस कार्यालय को अवगत कराये अन्यथा इकाई के विरुद्ध पर्यावरणीय अधिनियमों के अर्न्तगत की गयी किसी भी कार्यवाही का उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

भवदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः

1. जिलाधिकारी महोदय, सम्भल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र सम्भल को उनके पत्रांक 174/वि0क्ष0सम्भल/2022–23 दिनांक 28.11.2022 के कम में इस अनुरोध के साथ कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या 34957/2003 (श्रीमती मिथलेश जैन, आगरा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13.06.2003 तथा उक्त के अनुकम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को शासनादेश संख्या सी.एस. 89(1)/9–आ–3–2003–62 रिट/2003 दिनांक 10.11.2003 के परिपेक्ष्य में भूप्रयोग के विरुद्ध संचालित हो रही उक्त संदर्भित इकाई को आबादी से अन्यत्र उपयुत स्थल पर स्थानान्तरित कराने का कष्ट करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

Annexe-4

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी,
मण्डल :मुरादाबाद,जनपद :सम्भल,तहसील :सम्भल
वाद संख्या :-1836/2023
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202313740301836
सरकार बनाम संदीप अग्रवाल आदि
अंतर्गत धारा:- 133, अधिनियम :- दण्ड प्रक्रिया संहिता

सशर्त आदेश/नोटिस अन्तर्गत धारा 133 (1)(ख) सी0आर0पी0सी0

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही अवर अभियन्ता विनियमित क्षेत्र सम्भल आख्या दिनांक 22.12.2022 के आधार पर प्रारम्भ हुई, जिसमें उल्लेख किया गया है कि श्री संदीप अग्रवाल पुत्र श्री आनन्द प्रकाश व श्री समर्थ अग्रवाल पुत्र श्री संदीप.अग्रवाल द्वारा आर्य समाज रोड पर भू-उपयोग के विरूद्ध आवासीय क्षेत्र में मैसर्स विहान ऐरोमेटिक्स मैन्था इकाई संचालित की जा रही है, जिसमें मैन्था आयल फ्रीज आदि का कार्य किया जाता है। उक्त इकाई आवासीय क्षेत्र में संचालित होने से किसी भी अप्रिय घटना के घटित होने से इन्कार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए व शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु उक्त मैंथोल क्रिस्टल की केमिकल फैक्ट्री के विरूद्ध धारा 133 सी0आर0पी0सी0 की कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

मेरे द्वारा अवर अभियन्ता विनियमित क्षेत्र सम्भल द्वारा प्रस्तुत आख्या का अनुशीलन किया गया, जिससे विदित है कि उपरोक्त इकाई के स्वामी श्री संदीप अग्रवाल पुत्र श्री आनन्द प्रकाश व श्री समर्थ अग्रवाल पुत्र श्री संदीप अग्रवाल द्वारा आर्य समाज रोड पर भू-उपयोग के विरूद्ध आवासीय क्षेत्र में मैसर्स विहान ऐरोमेटिक्स मैन्था इकाई संचालित की जा रही है, जिसके कारण आम जन जीवन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उपरोक्त से आम-जन में उत्पन्न होने वाले आक्रोश से कभी भी लोक परिशांति भंग हो सकती है।

अतः मैं सुनील कुमार त्रिवेदी, उपजिला मजिस्ट्रेट सम्भल अवर अभियन्ता विनियमित क्षेत्र सम्भल की आख्या दिनांकित 22.12.2022 से पूर्णतः सहमत व सन्तुष्ट हूँ। अतएव मैं श्री संदीप अग्रवाल पुत्र श्री आनन्द प्रकाश व श्री समर्थ अग्रवाल पुत्र श्री संदीप अग्रवाल निवासी आर्य समाज रोड हौज भदेसराय तहसील व जिला सम्भल को आदेशित करता हूं कि आपकी मैंथा इकाई से आस-पास के वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा पब्लिक न्यूसेंस की सम्भावना बनी हुई है। एतद द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त इकाई का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद कर दें। यदि उपरोक्त के सम्बंध में आपको कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दिनांक 13.03.2023 को प्रातः 11:00 बजे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से जो भी मौखिक/लिखित साक्ष्य हो प्रस्तुत करें। नोटिस की प्रति प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सम्भल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त नोटिस सम्बंधित को दस्त ब दस्त तामील कराकर तामील प्रति इस न्यायालय को नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(सुनील कुमार त्रिवेदी)
उपजिला मजिस्ट्रेट
सम्भल

यह आदेश/नोटिस आज दिनांक 21/02/23 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित/दिनांकित एवं न्यायालय की मोहर सहित प्रदत्त।

उपजिला मजिस्ट्रेट
सम्भल

Scanned with OKEN Scanner

Annexure-5

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

D 2 AUG 2023

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FZ 289735

शपथपत्र

समक्ष:— क्षेत्रिय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1/ए/आई0ए0एस0 आवास विकास कालोनी बौद्व बिहार
दिल्ली रोड मुरादाबाद।

मैं संदीप अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री आनन्द प्रकाश अग्रवाल निवासी जेटली कालोनी तहसील रोड सम्भल का स्थायी निवासी हूँ।

1. यह कि शपथकर्ता उक्त पते का स्थायी निवासी है।
2. यह कि शपथकर्ता प्राप्त पत्र मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ ए संख्या 259/2023 अनुपम गोयल बनाम स्टेट ऑफ यूपी में पारित आदेश दिनांक 25—05—2023 के सम्बन्ध में शपथपत्र दाखिल कर रहा है।
3. यह कि शपथकर्ता कि इकाई का नाम विहान एरोमेटिक्स था जो कि संचालक संदीप अग्रवाल द्वारा चलाई जा रही थी जो कि श्रीमति स्नेहा अग्रवाल पत्नी श्री अनुप अग्रवाल जी के भवन होज मदीसरा पर स्थित थी। जिसका संचालन पूर्ण रूप से बन्द कर दिया गया है।
यह कि शपथकर्ता ने इकाई संचालन पर लगे [illegible] मीटर को भी हटवा दिया है।
यह कि शपथकर्ता अपनी इकाई की स्थापना से पूर्व सक्षम विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर संचालित करेगा।
यह कि पैरा 1 ता 5 सच व सही है [illegible] छुपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

शनाख्तकर्ता

शनाख्तकर्ता

शपथकर्ता
संदीप अग्रवाल

शपथकर्ता
(संदीप अग्रवाल)

Sandeep Agarwal 1-8-23

SANDEEP PRAKASH
Advocate / Notary
MORADABAD

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
विद्युत वितरण खण्ड, सम्भल

पत्रांक ..../वि०वि०ख०स०/ दिनांक ....

विषयः- संयोजन के स्थाई विच्छेदन हेतु मीटर उतारने के सम्बन्ध में।

सहायक अभियन्ता (मी०),
विद्युत परीक्षणशाला
सम्भल।

उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है, उपभोक्ता श्रीमती स्नेह अग्रवाल पत्नी श्री अनूप अग्रवाल निवासी कोट शर्की , सम्भल संयोजन सं०-(3880867842) स्वीकृत भार 10 कि०वा० (वाणिज्यक) ने अपने संयोजन को स्थाई रूप से विच्छेदित कराने के लिए पी०डी० फीस रु०-590.00 रसीद सं०-388909893316 दिनांक 02.08.2023 को जमा कर दिया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है, कि उपरोक्त उपभोक्ता के संयोजन की साईट पर स्थापित मीटर की एम०आर०आई० कर मीटर उतारकर इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सहायक अभियन्ता(रा0)

पत्रांक 5963/वि०वि०ख०स०/ दिनांक 04-8-23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड-प्रथम सम्भल को इस निर्देशो से प्रेषित है, कि 07 दिवस के अन्दर उपरोक्त उपभोक्ता की स्थाई विच्छेदन रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. सम्बन्धित उपभोक्ता।

सहायक अभियन्ता(रा0)

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

Annex -6

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या 259/2023 अनुपम गोयल बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 25.05.2023 के संबंध में स्थलीय जांच आख्या–

उपरोक्त विषयक मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के संबंध में श्री संदीप अग्रवाल, पार्टनर, मैसर्स विहान एरोमेटिक्स्, आर्य समाज रोड, हौज भद्दे सराय, थाना कोतवाली, जनपद सम्भल के द्वारा इकाई का संचालन पूर्ण रुप से बन्द किये जाने एवं संचालन हेतु स्थापित विद्युत मीटर को हटवाये जाने की आशय का नोटराइज्ड शपथ पत्र दिनांक 17.08.2023 प्रस्तुत किया गया है। उक्त के कम में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 17.08.2023 को किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि इकाई में उत्पादन कार्य पूर्ण रुप से बन्द है एवं विद्युत विभाग द्वारा स्थापित विद्युत मीटर को उतार लिया गया है तथा स्थल पर कोई औद्योगिक गतिविधियां होती नही पायी गयी।

उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(राजीव कुमार)
अनुश्रवण सहायक

सहा.पर्या.अभि./क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

Scanned with OKEN Scanner